उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-60/2017-18

जदु मुर्मू

बनाम्

धमेन्द्र मड़ैया

-: आदेश :-

दिनांक 12.03.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जदु मुर्मू पे0–भगन मुर्मू सा0–रूपुचक अंचल–पथरगामा जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–186/2006–07 के आदेश दिनांक–29.08.2017 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–186/06–07 के आदेश दिनांक–29.08.17 के द्वारा संथाल परगनाम काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को मौजा–रूपुचक सं0–21 दाग नं0–270 रकवा 00–02–18 धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता अनुसूचित जन जाति के सदस्य है एवं उनके पूर्वज भूमिहीन थे। उसके विकट परिस्थिति को देखते हुए जमाबंदी रैयत के पुत्र के द्वारा वर्ष 1937 ई0 मे अपीलकर्त्ता के पिता को वसोवास के लिए मौजा–रूपुचक के जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–270 के अंदर रकवा 00–02–18 धुर जमीन दिया गया था। कुर्फा से प्राप्त करने के बाद अपीलकर्त्ता के पिता ने उसपर मकान बनाया एवं उसपर सपरिवार रहने लगे। वर्तमान समय में उस जमीन पर आवासीय मकान बना हुआ है एवं चहार दिवारी से घेराबंदी करके उसके अंदर कुँआ अवस्थित है और अपीलकर्त्ता उस मकान में सपरिवार रहते हैं। उनका आगे कथन है कि मकान की जमीन के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के द्वारा कई निर्णयों में यह तय किया गया है कि मकान की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है या उस जमीन के बदले बाजार दर के हिसाब से मुआवजा

Scanned with CamScanner

दिया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता को उस मकान से हटा देने पर बेघर हो जाएगें। साथ ही साथ उनका यह भी कथन है कि जमाबंदी रैयत के पुत्र गंगाराम मड़ैया के द्वारा अपीलकर्त्ता के पक्ष में पंचनामा कागजात भी बना दिया गया है और अपीलकर्त्ता उस जमीन पर मकान पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नही है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–रूपुचक के जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–270 कुल रकवा 00–12–18 धुर जमीन उत्तरवादी की पैतृक जमीन है। उक्त दाग नं0–270 के अंदर रकवा 00–01–18/2 धुर जमीन तथा दाग नं0–243 रकवा 00–02–18 धुर जमीन को अपीलकर्त्ता ने जबरन कर लिया था। अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए उत्तरवादी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उक्त जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद कर अंचल अधिकारी, पथरगामा को भूमि पर दखल दिहानी के लिए आदेश दिया था। उसी आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन दाखिल किया है। उनका आगे कथन है कि चूँकि अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन शपथ पत्र के माध्यम से प्राप्त करने का दावा किया है जो कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन चलने योग्य नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–644/रा0 दिनांक–10.12.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–रूपुचक थाना नं0–351 जमाबंदी नं0–21 कुल रकवा 12–07–19 धुर जमीन जमाबंदी रैयत मोहरील मड़ैया वल्द जदु मड़ैया कौम कमार साकिन देह कहकर दर्ज है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि उत्तरवादी धमेन्द्र मड़ैया जमाबंदी रैयत के छरपोता हैं। अपीलकर्त्ता जदु मुर्मू वल्द स्व0 भगन मुर्मू कौम संथाल साकिन रूपुचक है। अपीलकर्त्ता का उत्तरवादी से विपक्षी से कोई

Scanned with CamScanner

संबंध नहीं है तथा दोनों का जाति भी अलग–अलग है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि उन्हें गंगाराम मड़ैया से दाग नं0–243 के अंदर रकवा 00–02–18 धुर एवं दाग नं0–270 के अंदर रकवा 00–01–18/2 धुर जमीन ग्रामिण एवं आपसी मित्रता होने के कारण वसोवास हेतु शपथ पत्र द्वारा दान स्वरूप दिया है। दाग नं0–270 के अंदर अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी दोनों ने चाहर दिवारी देकर घेराबंदी कर रखा है।

उपरोक्त तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा रूपुचक थाना नं0–351 जमाबंदी सं0–21 कुल रकवा 12–07–19 धुर जमीन जमाबंदी रैयत मोहरील मड़ैया वल्द जदु मड़ैया कौम कमार साकिन देह कहकर दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अर्न्तगत दाग नं0–270 रकवा 00–02–18 धुर जमीन से निम्न न्यायालय ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि अपील वादगत जमीन रैयती जमीन है। लेकिन जाँच प्रतिवेदन एवं उभय पक्ष के बहस से स्पष्ट होता है कि अपील वादगत जमीन पर अपीलकर्त्ता का आवासीय मकान है और अपीलकर्त्ता का कहना है कि उन्हें गंगाराम मड़ैया से दाग नं0–243 के अंदर रकवा 00–02–18 धुर एवं दाग नं0–270 के अंदर रकवा 00–01–18 धुर जमीन ग्रामीण एवं आपसी मित्रता होने के कारण वसोवास हेतु शपथ पत्र द्वारा दान स्वरूप दिया है। दाग नं0–270 के अंदर अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी दोनों ने चाहर दिवारी देकर घेराबंदी कर रखा है। ऐसी स्थिति में मकान की जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेदी करना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–186/2006–07 में आदेश दिनांक–29.08.2017 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 12:41:18 +05:30
Location: 192.168.29.32

लिखवाया एवं शुद्ध किया।

12/03/21

RJ उपायुक्त,
गोड्डा।

12/03/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Scanned with CamScanner